रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III —खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2015/माघ 7, 1936
No. 29] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2015/MAGHA 7, 1936

Income Tax Guide

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2015

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) विनियम, 2015

सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1.—पेंशन निधि विनियायक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 41 की उप-धारा (1) और धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड (न) के साथ पठित धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

अध्याय I
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) विनियम, 2015 है।

विनियमों का उद्देश्य अनुदानों, संदानों, शास्तियों से प्राप्त होने वाली राशियों से एक निधि को स्थापित करना है जिसका उपयोग अभिदाताओं के हितों के संरक्षण के लिए और पेंशन, सेवानिवृत्ति और उसके आनुषांगिक विषयों को अभिदाताओं के मध्य प्रसारित, शिक्षित और जागरूकता जनन करना है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** — (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है ;

(ख) "समिति" से विनियम 6 के उपविनियम (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अभिदाता शिक्षा और संरक्षण के लिए गठित सलाहकार समिति अभिप्रेत है ;

(ग) "निधि" से अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा स्थापित अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि अभिप्रेत (एसईपीएफ) है ;

(घ) "अन्य पेंशन स्कीम" या "कोई अन्य पेंशन स्कीम" से अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः अधिनियम में हैं ।

अध्याय II

अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि

3. निधि की स्थापना- प्राधिकरण द्वारा, अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के अधीन निधि की स्थापना की जाएगी ।

4. निधि में जमा की जाने वाली राशि - निधि में निम्नलिखित रकमें जमा की जाएंगी, अर्थात् :--

(क) निधि के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, कंपनियों या किन्हीं अन्य संस्थाओं द्वारा निधि को दिए गए अनुदान और संदान;

(ख) निधि से किए गए विनिधानों से प्राप्त ब्याज और अन्य आय ;

(ग) अधिनियम की धारा 29 के अधीन प्राधिकरण द्वारा शास्तियों के रूप में वसूल की गई राशियां;

(घ) ऐसी अन्य राशि जो प्राधिकरण अभिदाताओं के हितों में विनिर्दिष्ट करे ।

5. निधि का उपयोग- (1) इन विनियमों के अनुसार निधि का उपयोग अभिदाताओं के हित के संरक्षण और अभिदाताओं की शिक्षा और जागरूकता के संवर्धन के प्रयोजन के लिए किया जाएगा ।

(2) उपविनियम (1) के उद्देश्य की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) अभिदाताओं के लिए लक्षित शैक्षणिक क्रियाकलाप, जिनके अंतर्गत भिन्न-भिन्न सेमिनार, विचार गोष्ठी, प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रकाशन भी हैं ;

i. भौगोलिक अवस्थानों के, जिनके अंतर्गत महानगर, महानगर से भिन्न नगर और छोटे नगर भी हैं ;

ii. आय समूहों के ;

iii. आयु समूहों के ; और

iv. सेक्टरों के, जिनके अंतर्गत असंगठित सेक्टर, कारपोरेट, स्वसहायता प्राप्त समूह और अन्य भी हैं ;

(ख) अभिदाताओं के लिए लक्षित जागरूकता कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत प्रिंट, इलैक्ट्रानिक मीडिया भी है ;

(ग) समिति के ऐसे सदस्यों के, जो प्राधिकरण के पदधारी नहीं हैं और समिति की बैठकों के विशेष अथितियों के, समिति के कार्य के संबंध में भत्ते और यात्रा व्यय ;

(घ) लोकपाल के कार्यालय के वेतन, भत्ते और अन्य व्यय ;

(ङ) इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट अभिदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए निधिकरण ;

(च) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) समिति की सिफारिशों के आधार पर प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा अभिहित प्राधिकरण का कोई पदधारी, अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि से निधियों के उपयोग का अनुमोदन करेगा ।

अध्याय III

निधि के लिए समिति

6. समिति का गठन.—(1) प्राधिकरण, अभिदाता शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण क्रियाकलापों एवं विनियम 5 में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निधि का उपयोग करने की सिफारिश करने हेतु एक समिति का गठन करेगा ।

(2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(क) प्राधिकरण का कार्यकारी निदेशक, जो समिति का संयोजक होगा ;

(ख) प्राधिकरण के दो अन्य पदधारी ;

(ग) पांच ऐसे अन्य सदस्य, जो वित्तीय बाजार के विशेषज्ञ हैं और जिनके पास अभिदाता शिकायत निवारण या अभिदाता शिक्षा के विषयों का अनुभव हो;

(3) (क) इस विनियम के उपविनियम (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी जो दो वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी ;

(ख) किसी सदस्य के त्यागपत्र दिए जाने, सेवानिवृत्त या मृत्यु होने से उद्भूत किसी रिक्ति को प्राधिकरण द्वारा ऐसे सदस्य की बची हुई शेष पदावधि के लिए भरा जाएगा ।

IndiaCode

(4) प्राधिकरण, समिति को विघटित और पुनर्गठित कर सकेगा, यदि किसी समय प्राधिकरण की यह राय है कि समिति, इन विनियमों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है ।

7. समिति के कृत्य.— (1) समिति, अभिदाताओं की शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कार्यकलापों की सिफारिश करेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे कृत्यों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) निधि का उपयोग करने के लिए किए गए प्रत्येक कार्यकलाप के अभिलेख का समुचित अनुरक्षण और और ऐसे अभिलेखों के ब्यौरों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा,—

(i) कार्यकलाप का प्रयोजन ;

(ii) कार्यकलाप का स्थान ;

(iii) कार्यकलाप का प्रकार (अर्थात् सेमिनार, कार्यशाला, प्रशिक्षण, साहित्य का वितरण आदि) ;

(iv) सेमिनारों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के ब्यौरे (नाम, आयु, लिंग, व्यवसाय) ;

(v) ऐसे साहित्य की, समय, तारीख, वितरित प्रतियों की संख्या, ऐसे कार्यकलापों, जिसमें साहित्य का वितरण और वैसे ही जागरूकता जनन कार्यकलाप अंतर्वलित हैं, के साथ प्रतियां ;

(ख) तिमाही आधार पर प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है किन्तु यह उस तक सीमित नहीं है--

(i) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधियां ;

(ii) समेकित रीति से और कार्यकलाप वार पृथक् रूप से निधियों का उपयोग ;

(iii) ऐसे स्थानों से, जहां कार्यकलाप किए जाते थे, नए अभिदाताओं की संख्या ;

(iv) ऐसे लोगों की संख्या, जिन्होंने कार्यकलापों में भाग लिया और ऐसे उपस्थित/भाग लेने वाले व्यक्तियों का आयु, समूह, लिंग, व्यवसाय के रूप में वर्गीकरण ;

(v) आगामी तिमाही में किए जाने वाले कार्यकलापों, यदि कोई हों, की योजना ।

(3) प्राधिकरण, उपविनियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट रिपोर्टों का पुनर्विलोकन और समिति के कार्यकलापों के अनुपालन का निर्धारण करेगा । वह, अपने कार्यकलापों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए निधि का श्रेष्ठ उपयोग करने का निदेश देगा ।

(4) समिति, विभिन्न ऐसे संस्थानों, संस्थाओं, और संगठनों आदि के साथ मिलकर, जो अभिदाता की जागरूकता, शिक्षा और संरक्षण से संबंधित कार्यकलापों में लगे हुए हैं, परियोजनाओं और अभक्रमों की सिफारिश कर सकेगी ।

8. समिति की बैठकें - (1) संयोजक द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में संयोजक द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य द्वारा तीन मास में कम से कम एक बार समिति की बैठक बुलाई जाएगी ।

(2) समिति की बैठक में कार्य संचालन के लिए, समिति के चार सदस्यों से मिलकर कोरम पूरा होगा ।

(3) प्रत्येक सदस्य, जो समिति की बैठक में विचार के लिए रखे गए किसी विषय में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध है, उस बैठक में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसा प्रकटन, समिति की बैठक की कार्यवाहियों में लेखबद्ध किया जाएगा और ऐसा सदस्य, उस विषय की बाबत समिति के किसी विचार-विमर्श में भाग नहीं लेगा ।

9. समिति के व्यय.— (1) प्राधिकरण द्वारा ऐसे व्यय, जिसके अंतर्गत समिति के ऐसे सदस्यों के, जो प्राधिकरण के पदधारी हैं और ऐसे अतिथितियों के, जो प्राधिकरण के पदधारी हैं, यात्रा व्यय और अन्य भत्ते भी हैं, उनकी हकदारी के अनुसार पूरे किए जाएंगे ।

(2) ऐसे व्यय, जिसके अतंर्गत समिति के ऐसे सदस्यों के, जो प्राधिकरण के पदधारी नहीं और अतिथितियों के, जो प्राधिकरण के पदधारी नहीं हैं, के यात्रा व्यय और अन्य भत्ते भी हैं, निधि द्वारा पूरे किए जाएंगे ।

अध्याय IV

विनिधान, लेखा और लेखाओं की संपरीक्षा

10. विनिधान, लेखाओं का अनुरक्षण और लेखाओं की संपरीक्षा.— (1) प्राधिकरण, निधि के संबंध में उचित और पृथक् लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों का, उसमें निधि की सभी रसीदों के और निधि से हुए व्यय के ब्यौरे और अन्य सुसंगत विशिष्टियां देते हुए, अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा ।

(2) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट लेखाओं को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से छह मास की समाप्ति के पूर्व तैयार किया जाएगा और उनकी संपरीक्षा की जाएगी ।

स्पष्टीकरण- इस उपविनियम के प्रयोजन के लिए "वित्तीय वर्ष" से किसी वर्ष की 1 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि अभिप्रेत है ।

(3) प्राधिकरण, अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि का निम्नलिखित लिखतों में से किसी लिखत में विनिधान कर सकेगा :

(क) केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में ;

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं में ;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किसी मान्यताप्राप्त रेटिंग अभिकरण से उच्चतर रेटिंग के साथ द्रव्य निधियों में ;

(घ) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिधान के लिए उचित समझी गई किसी अन्य वित्तीय लिखत में ।

(4) निधि के लेखाओं की ऐसी रीति में संपरीक्षा की जाएगी जो प्राधिकरण द्वारा समुचित समझी जाए ।

अध्याय V

विविध

11.शक्तियों का प्रत्यायोजन- इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां, प्राधिकरण के ऐसे किसी सदस्य अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी जिसे अधिनियम की धारा 49 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ।

हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/ असा./203/14(272)]

IndiaCode

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2015

Pension Fund Regulatory And Development Authority (Subscriber Education and Protection Fund) Regulations, 2015.

No.PFRDA/12/RGL/139/1- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 52 read with clause (t) of sub-section (2) thereof and sub-section (1) of section 41 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Subscriber Education and Protection Fund) Regulations, 2015.

The regulations aims to provide for establishment of a fund interalia, out of grants, donations, penalties and which shall be utilised towards protection of the interest of the subscribers and for promoting, educating and creating awareness among subscribers in relation to pension, retirement saving and related issues.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires**,-**

(a) 'Act' means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act , 2013 (23 of 2013);

(b) 'Committee' means an advisory committee constituted for subscribers' education and protection by the Authority under sub-regulation (1) of Regulation 6;

(c) 'Fund' means the Subscriber Education and Protection Fund (SEPF) established by the Authority under sub-section (1) of Section 41 of the Act;

(d) "Other Pension Scheme" or " any other pension scheme" means pension scheme referred to in clause (b) of sub-section (1) of Section 12 of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

SUBSCRIBER EDUCATION AND PROTECTION FUND

3. Establishment of Fund.-The Fund under sub-section (1) of Section 41 of the Act shall be established by the Authority.

4. Credit to Fund.—The following amounts shall be credited to the Fund, namely:—

(a) grants and donations given to the Fund by the Central Government, State Governments, companies or any other institutions for the purposes of the Fund;

(b) the interest or other income received out of the investments made from the Fund;
(c) the sums realised by way of penalties by the Authority under Section 29 of the Act;
(d) such other amount as the Authority may specify in the interests of the subscribers.

5. Utilization of the Fund.—(1) The Fund shall be utilised for the purpose of protection of subscribers' interest and promotion of subscribers' education and awareness in accordance with these regulations.

(2) Without prejudice to the generality of the object in sub-regulation (1), the Fund may be used for the following purposes, namely:-

(a) educational activities including seminars, symposia, training, research and publications, aimed at subscribers across different

(i) geographical locations including metros, non-metros and smaller towns;
(ii) income groups;
(iii) age groups; and
(iv) sectors including unorganized sectors, corporates, self-help groups and others;

(b) awareness programmes including through media - print, electronic, aimed

at subscriber

(c) allowances and expenses on travel of members of the committee, who are not officials of the Authority, and special invitees to the meetings of the committee, in connection with the work of the committee;

(d) salary, allowances and other expenses of office of Ombudsman;

(e) funding subscriber education and awareness activities as specified in these regulations;

(f) such other purposes as may be specified by the Authority.

(3) Based on the recommendations of the committee, the Authority or any official of the Authority designated by the Authority shall approve utilisation of funds from the Subscriber Education and Protection Fund.

CHAPTER III
COMMITTEE FOR THE FUND

6. Constitution of the committee.—(1)The Authority shall constitute a committee for recommending subscriber education, awareness and protection activities and for utilisation of the Fund for the purposes referred to in regulation 5.

(2) The committee shall consist of the following members, namely:—

(a) the Executive Director of the Authority who shall be the convener of the committee;

(b) two other officials of the Authority;

(c) five other members who have expertise in financial market and experience in matters of subscriber grievance redressal or subscriber education.

(3) (a) The term of office of the members referred in clause (c) of sub-regulation (2) of this regulation shall be two years, which may be extended for a further period of two years;

(b) any vacancies arising out of resignation, retirement or death of a member or for any other reason shall be filled by the Authority for the remaining period of the term of such member.

(4) The Authority may dissolve and reconstitute the committee if, at any time, the Authority is of the opinion that the committee is unable to discharge the functions and duties imposed on it by or under these regulations.

IndiaCode

7. Functions of the committee.—(1) The committee shall recommend the following activities relating to the subscribers' education, awareness and protection.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing functions, such functions may include the following, namely;

(a) appropriate maintenance of record of each of the activities carried out for utilizing the Fund, and details of such records shall include-

(i) purpose of the activity;
(ii) location of the activity;
(iii) type of the activity (e.g. seminar, workshop, training, distribution of literature etc.);
(iv) the details of the participants (name, age, gender, occupation,) in seminars, workshops, training programmes;
(v) copies of such literature along with details of time, date, number of copies distributed, activities involving distribution of literature and similar awareness generation activities;

(b) Submission of a report to the Authority on a quarterly basis including but not limited to—
(i) funds received from different sources,
(ii) utilization of funds in a consolidated manner as well as segregated activity wise ,
(iii) number of new subscribers from locations where the activities were carried out;
(iv) number of people who attended the activities and classification of such attendees or participants into age, groups, gender, occupation type;
(v) plan for the forthcoming quarter, for the activities to be carried out, if any.

(3) The Authority shall review the reports referred to in clause (b) of sub-regulation (2) and assess performance of the activities of the committee. It shall give directions for the optimal utilization of the Fund, in order to enhance the effectiveness of its activities.

(4). The committee may recommend projects and initiatives in association with various institutions, associations and organisations etc. which are engaged in activities, related to subscriber awareness, education and protection.

8. Meetings of the committee.— (1) Meetings of the committee shall be convened at least once in a quarter by the convener or in his absence, by any member nominated by the convener, on his behalf.

(2) Four members of the committee shall constitute the quorum for the transaction of business at a meeting of the committee.

(3) Every member, who is directly or indirectly interested in any matter coming up for consideration at a meeting of the committee, shall disclose the nature of his interest at such meeting and such disclosure shall be recorded in the proceedings of the meeting of the committee and such member shall not take part in any deliberation of the committee with respect to that matter.

9. Expenses of the committee.— (1) The expenses including travel and other allowances of members of the committee, who are officials of the Authority, and invitees who are officials of the Authority, shall be borne by the Authority in accordance with their entitlements**.**

(2) The expenses including travel and other allowances of members of the committee, who are not officials of the Authority, and invitees who are not officials of the Authority, may be borne by the Fund.

CHAPTER IV

INVESTMENT, ACCOUNTS AND AUDIT

10. Investment, maintenance of accounts and audit of accounts.- (1) The Authority shall ensure maintenance of proper and separate accounts and other relevant records in relation to the Fund giving therein the details of all receipts to, and, expenditure from, the Fund and other relevant particulars.

(2) The accounts referred to in sub regulation (1) shall be prepared and audited before the expiry of six months from the end of each financial year.

Explanation.— For the purpose of this sub-regulation, "financial year" means the period from the 1st day of April of a year to the 31st day of March of the following year.

(3) The Authority may invest the Subscriber Education and Protection Fund corpus in any of the following instruments:—

(a) Central Government securities;

(b) deposits with scheduled commercial banks;

(c) liquid funds regulated by the Securities and Exchange Board of India with the highest credit rating from a recognised rating agency.

(d) any other financial instruments deemed fit for investment by the Authority from time to time.

(4) The accounts of the Fund shall be audited in the manner as considered appropriate by the Authority.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

11. Delegation of powers.—The powers exercisable by the Authority under these regulations shall also be exercisable by any member or officer of the Authority to whom such powers are delegated by the Authority in accordance with Section 49 of the Act.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT-III/4/Exty./203/14(272)]

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.